प्रपत्र–4
(देखे विनियम 6 का उपबन्ध 1 (ग) 2 (क) एवं 3(क))
राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
संख्या–1784 /71–2–2010–351 / 09
लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2010

सेवा में,

डा0 सैय्यद हबीब उल्लाह,
सचिव, पैसीफिक कालेज, लच्छीपुर,
गोरखपुर।

विषय : पैसीफिक कालेज आफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर, लच्छीपुर, गोरखपुर को अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0)।

संदर्भः सचिव, पैसीफिक कालेज, लच्छीपुर, गोरखपुर का पत्र दिनांक 01.4.2009

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' जारी किया जा रहा है:–

1. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या–08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, निजी क्षेत्र में 07 आयुर्वेदिक कालेज।
2. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–600 (स्नातक स्तर)
3. राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–53956,
4. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों की संख्या–3731
5. राज्य विशेष रूप ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या–527
6. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या–सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं–जनसंख्या का अनुपात–1 : 3081
8. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आयेगा–आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोंपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर करना है।
9. छात्र जो राज्य के मूल निवासी नहीं है, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें– राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश सी0पी0एम0टी0 से चयनोंपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से होता है।

10. प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य–योग्य चिकित्सक तैयार करना।
11. प्राप्य आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात–निर्धारित नहीं।

डा0 सैय्यद हबीब उल्लाह ने लच्छीपुर, गोरखपुर में पैसीफिक कालेज आफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर स्थापित करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात उ0प्र0 सरकार ने आवेदक को सी0सी0आई0एम0 के मानकानुसार अनुमन्य सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए/ बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है–

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास 100 शैय्याओं वाला सम्बद्ध अस्पताल है, जो पैसीफिक कालेज आफ फिजियोथरैपी के भवन में चल रहा है, को संस्था के स्वत्व की भूमि पर सी0सी0आई0एम0 के मानकानुसार चिकित्सालय भवन का निर्माण कराते हुए उसमें स्थानान्तरित करना आवश्यक होगा तथा संस्था को समयान्तर्गत सी0सी0आई0एम0 की सभी शर्ते तथा मानक पूर्ण करने होगें।
(ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना/बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित की वांछनीय है।
(ग) पैसीफिक इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज द्वारा लच्छीपुर, गोरखपुर में पैसीफिक कालेज आफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर की स्थापना/बी0एएम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

संख्या– 1784 (1)/71–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, सी0सी0आई0एम0, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2– सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कुल सचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
5– निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।